तारीख हुक्म		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किशोर कंवर बनाम सोहनसिंह	
3-1-26	अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट/प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 21–11–2024 पर बहस करते हुए कथन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट किशोर कंवर का स्वर्गवास दिनांक 13–09–2019 को हो चुका है। पजिसके जायज वारिसानो ने प्रार्थी को मुख्त्यारआम नियुक्त कर रखा है। अतः प्रार्थी को अपील में अपीलांटा के स्थान पर पक्षकार संयोजित किया जावे। अभिभाषक अपीलांट/प्रार्थी ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2024 (1) पेज 83, आरआरटी 2024(2) पेज 785, आरआरटी 2011(2) पेज 1327, आरबीजे 2005 पेज 235, आरबीजे 2006 पेज 707 प्रस्तुत किये। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी ने जवाब बहस में कथन किये कि अपीलांट/प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ अपीलांट किशोर कंवर पत्नी सादूल सिंह की मृत्यु की जानकारी दी है तथा प्रार्थना पत्र के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किया है इसलिए यह नही कहा जा सकता है कि श्रीमती किशोर कंवर की मृत्यु कब हुई। तथा किशोर कंवर के वारिसानो के बाबत सक्षम अधिकारी का कोई प्रमाण पत्र इस आशय का प्रस्तुत नही होने के कारण यह नही माना जा सकता है कि अंकित वारिसानो के अलावा कोई वारिस नही है। अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अपीलांट किशोर कंवर की मृत्यु की तारीख 13–09–2019 अंकित की है। मृत्यु की 30 दिवस की अवधि में कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र देना अनिवार्य है। अगर उक्त अवधि में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया जाता है तो अपील स्वतः ही अबेट होती है। अपीलांट द्वारा निर्धारित अवधि से करीब 5 वर्ष 3 माह बाद उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। तथा उक्त प्रार्थना पत्र किसी वारिस के द्वारा प्रस्तुत नही किया जाकर मुख्त्यारआम द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मुख्त्यारआम को अपील के तथ्यों की जानकारी कब व कैसे हुई का खुलासा नही होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अपील को जरिये अबेटमेंट खारिज फरमाया जावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यु 1997(1) पेज 376, आरआरडी जून–जुलाई 2001 पेज 315, आरआरडी दिसम्बर 2001 पेज 541 प्रस्तुत किये।	

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा स्वीकृत तथ्य है कि प्रकरण में एकमात्र अपीलांटा किशोर कंवर की मृत्यु दिनांक 13–09–2019 को हो चुकी है जिसके वारिसान को पक्षकार बनाने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 21–11–2024 को प्रस्तुत किया गया है।

इस प्रार्थना पत्र के साथ अपीलांटा किशोर कंवर का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न नही है। जिससे की मृत्यु की तिथि की प्रमाणिकता साबित हो। अगर प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में उल्लेखित मृत्यु तिथि के सही होने की उपधारणा की भी जाए तो भी यह प्रार्थना पत्र मृत्यु तिथि से लगभग 5 वर्ष पश्चात प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र संलग्न नही है और न ही इस प्रार्थना पत्र मे विलम्ब की अवधि के संबंध में कोई कारण दर्शित किया गया है। सीपीसी के प्रावधानो के तहत 90 दिवस में वारिसो को अभिलेख पर लिया जाना आवश्यक है अन्यथा उपशमन (अबेटमेंट) स्वतः ही हो जाता है।

ऐसे अबेटमेंट को अपास्त किये जाने हेतु आदेश 22 नियम 9 सीपीसी के तहत 60 दिवस की अवधि निर्धारित है। प्रार्थी द्वारा प्रकरण में अबेटमेंट सेट–असाईड करने हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया है।

प्रार्थी द्वारा न तो विलम्ब को कंडोन करने हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है और ना ही अबेटमेंट सेट–असाईड करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। साथ ही वारिसान को रिकॉर्ड पर लिये जाने के प्रार्थना पत्र में भी ऐसा कोई अनुतोष नही चाहा है। इस सूरत में प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। अपील अपीलांट स्वतः अबेट हो चुकी है इसलिए जरिये अबेटमेंट खारिज की जाती है। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर